



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ 1947 (श०)
(सं० पटना 77) पटना, बुधवार, 21 जनवरी 2026

सं० 02/वन्यप्राणी-03/2023-316
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प
14 जनवरी 2026

विषय:—संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी के गठन के संबंध में।

विलुप्तप्राय वन्यजीवों को संरक्षण देने तथा पर्यटकों के बीच वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्द्धन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) से मान्यता प्राप्त बड़े श्रेणी का राज्य का इकलौता चिड़ियाघर है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश में सरकारी चिड़ियाघर (Zoo) के प्रबंधन हेतु सोसाईटी निर्माण का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में उद्यान के जानवरों के स्वास्थ्य प्रबंधन, रख-रखाव में सुधार के साथ-साथ आगंतुकों की सुविधाओं में वृद्धि, अंशदान, दान, उपहार, आवंटन आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाली निधि के प्रबंधन को बेहतर बनाने तथा प्रचार-प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है।

3. “संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी” के संचालन हेतु इसका संगम ज्ञापन तथा उप-विधि परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

4. “संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी” के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में 09 सदस्यीय शासी निकाय तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार की अध्यक्षता में 09 सदस्यीय कार्यकारी निकाय का प्रावधान है।

5. उक्त सोसाईटी के गठन संबंधी संगम-ज्ञापन तथा उप-विधि पर दिनांक-09.12.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं उसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का ज्ञापन

सोसाइटी का नाम ।—

1. सोसाइटी का नाम "संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी (एसजीबीपीएमडीएस)" होगा।

अवस्थिति ।—

2. सोसाइटी अर्थात् संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, बेली रोड, पटना (पिन-800001), जिला-पटना, बिहार के कार्यालय में स्थित होगा।

कार्यक्षेत्र ।—

3. सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्यतः पटना जिला और विशेष रूप से संजय गांधी जैविक उद्यान होगा, तथा ऐसा कोई भी क्षेत्र जो सरकारी आदेश द्वारा इसके अंतर्गत लाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे अन्य क्षेत्रों में मानव-पशु द्वंद समन्वय, राज्य अंतर्गत अन्य चिड़ियाघरों के साथ समन्वय आदि, समन्वय के लिए यह कार्यक्षेत्र पूरे राज्य तक विस्तारित होगा।

लक्ष्य एवं उद्देश्य ।—

4. सोसाइटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

- (क) वन्यजीवों के संरक्षण, वन्यजीवों के नियंत्रण-प्रबंधन (Captive Management of Wildlife) और इको-पर्यटन के लिए संजय गांधी जैविक उद्यान की गतिविधियों को पूरक, सुदृढ़ या अन्यथा विस्तारित करना और वन्यजीवों के एक्स-सीटू और इन-सीटू प्रबंधन के बीच संबंध को सुविधाजनक बनाना।
- (ख) खुली बहस, चर्चा आदि के लिए मंच प्रदान करना और किसी धर्मार्थ, परोपकारी, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, सार्वजनिक या किसी अन्य संस्था को सदस्यता देना या अन्य सहायता प्रदान करना, जिसका उद्देश्य या प्रयोजन समाज के उद्देश्यों के अनुरूप हो या उन्हें बढ़ावा देता हो।
- (ग) संजय गांधी जैविक उद्यान के विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रमों, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों, विशेषज्ञों और वित्त पोषित एजेंसियों के साथ समन्वय और संपर्क स्थापित करना तथा भारत सरकार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठनों या किसी व्यक्ति, संस्थान, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारी या निजी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य संस्थान से अंशदान, सीएसआर, दान, उपहार, अनुदान और अन्य निधि प्राप्त करना।

- (घ) संजय गांधी जैविक उद्यान के जानवरों के स्वास्थ्य-प्रबंधन तथा उद्यान के रख-रखाव के लिए परिसर में सुधार के साथ-साथ आगंतुकों की सुविधाओं के देख-रेख और सुधार के लिए सभी अंशदान, दान, उपहार (एनजीओ, कॉरपोरेट्स, संस्थान, निजी और व्यक्तिगत भी शामिल हैं) और सोसाइटी को दिए गए फंड को प्राप्त करना और प्रबंधित करना, साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा टिकट शुल्क, विभिन्न उपयोगकर्ता शुल्क, सुविधाओं की निविदा, दंड, नीलामी, किराया शुल्क, पशु गोद लेने, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री, लाइसेंस शुल्क, उपयोगकर्ताओं या आगंतुकों आदि पर लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क या प्रभार के रूप में उत्पन्न राजस्व को प्राप्त करना ।
- (ङ) सरकारी/अर्ध-सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं से परियोजनाएँ प्राप्त करना और परामर्श-सेवाएं प्रदान करना।
- (च) विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष-निधि का निर्धारण और उनका सृजन करना तथा उसे या उसके किसी भाग को ऐसे उद्देश्यों के लिए लागू करना।
- (छ) सोसाइटी के कुशल-प्रबंधन और संचालन के लिए शासी निकाय के अनुमोदन से आवश्यक संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करना/रखना ।
- (ज) सोसाइटी द्वारा संविदा/दैनिक मजदूरी पर नियोजित व्यक्तियों/कर्मचारियों/सेवा प्रदाताओं को शासी निकाय के मानदंडों और अनुमोदन के अनुसार सोसाइटी के कोष से भुगतान होगा। इसमें सोसाइटी द्वारा नियोजित कर्मचारियों के भविष्य के लाभों के लिए ईपीएफ अंशदान या कोई अन्य बीमा भी सम्मिलित होगी। वे कर्मि, जो सरकारी सेवा में हैं, वे इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
- (झ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उद्देश्यों को आगे बढ़ाने लिए अचल-संपत्ति अर्जित करना।
- (ञ) उपर्युक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई अन्य गतिविधियां संचालित करना ।

सोसाइटी की आय एवं संपत्ति ।—

5. सोसाइटी द्वारा प्राप्त कोई भी आय या लाभ केवल इस ज्ञापन में निर्धारित सोसाइटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाएगा और इसका कोई भी हिस्सा सोसाइटी के किसी भी सदस्य को वेतन, लाभांश, बोनस, आय या लाभ के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि इसमें निहित ऐसे सदस्यों को उचित आकस्मिक खर्चों के भुगतान पर लागू नहीं होगा।

सोसाइटी का विघटन।—

6. (क) सोसाइटी का विघटन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 और 14 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।
- (ख) यदि सोसाइटी के समापन या विघटन के बाद, उसके ऋणों और देनदारियों के निपटान के पश्चात् भी कोई संपत्ति, परिसंपत्ति और निधि शेष बचती है, तो उसे सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी को नहीं दिया जाएगा या उनमें वितरित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
7. हम, वैसे सभी व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के विकास के लिए सोसाइटी के इस ज्ञापन में वर्णित लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए स्वयं को संबद्ध करते हुए, सोसाइटी के इस ज्ञापन पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत हस्ताक्षर करते हैं; आज के दिन, ... का, 2025

क्रम सं.	पदनाम और पता	पेशा	हस्ताक्षर
1	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार	सरकारी सेवा	
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार	सरकारी सेवा	
3	प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार	सरकारी सेवा	
4	सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	सरकारी सेवा	
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार	सरकारी सेवा	
6	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना	सरकारी सेवा	
7	डीन, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	सरकारी सेवा	
8	निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना	सरकारी सेवा	
9	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा नामित		
से	चिड़ियाघर प्रबंधन, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव विविधता, शिक्षा और/या		
11	सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अधिकतम तीन विशेषज्ञ।		

गवाहों के

हस्ताक्षर दिनांक सहित

1. श्री
2. श्री

पूनम कुमारी,
संयुक्त सचिव।

संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी उपनियम, 2025

संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र एवं प्रारंभ ।—

1. (क) इन उपनियमों को "संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी उपनियम, 2025" कहा जाएगा, यहाँ से इसे 'उपनियम' कहा जाएगा।
- (ख) ये उपनियम संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के सभी सदस्यों, संपत्तियों, गतिविधियों और लेन-देन पर लागू होंगे।
- (ग) ये उपनियम सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसाइटी अर्थात् "संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी" के पंजीकरण की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएँ ।—

2. इन उपनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कोई बात न हो:-
 - (क) "अधिनियम" से तात्पर्य है- सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या XXI)।
 - (ख) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है- संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी, पटना के शासी निकाय (Governing Body) के अध्यक्ष।
 - (ग) "CZA" से तात्पर्य है- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली ।
 - (घ) "निदेशक" से तात्पर्य है- निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना ।
 - (ङ) "कार्यकारी-निकाय" से तात्पर्य है- सोसाइटी का कार्यकारी-निकाय (Executive Body) ।
 - (च) "वित्त-अधिकारी" से तात्पर्य है- सोसाइटी के वित्त-अधिकारी।
 - (छ) "शासी-निकाय" से तात्पर्य है- इन उप-नियमों के अंतर्गत गठित सोसाइटी का शीर्ष-निकाय ।
 - (ज) "सरकार" से तात्पर्य है- जब तक अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, बिहार राज्य सरकार ।
 - (झ) "सचिव" से तात्पर्य है- सोसाइटी के कार्यकारी-निकाय के सचिव ।
 - (ञ) "सोसाइटी" से तात्पर्य है- संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी ।
 - (ट) "सोसाइटी के नियम" से तात्पर्य है- संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के उपनियम हैं।
 - (ठ) "उपाध्यक्ष" से तात्पर्य है- सोसाइटी के शासी-निकाय के उपाध्यक्ष ।
 - (ड) "वर्ष" से तात्पर्य है- 1 अप्रैल से शुरू होने वाला और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय-वर्ष। बिहार के सामान्य धाराएँ एवं अधिनियम, यथोचित परिवर्तनों सहित, उन शर्तों की परिभाषा के लिए लागू होगा, जो इसमें उचित भिन्नता के साथ परिभाषित नहीं किया गया है।

निबंधित कार्यालय ।—

3. सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार के कार्यालय में स्थित रहेगा जबतक कि शासी-निकाय द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

उपनियम के प्रवृत्त होने की तिथि एवं अधिकार क्षेत्र ।—

4. ये उपनियम संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकरण की तिथि से लागू होंगे। सोसाइटी का अधिकार क्षेत्र सामान्य रूप से पटना जिले का क्षेत्र और विशेष रूप से संजय गांधी जैविक उद्यान होगा। इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी क्षेत्र सरकारी आदेश द्वारा लाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे अन्य क्षेत्रों में मानव-पशु द्वंद हेतु राज्य के भीतर अन्य चिड़ियाघरों के साथ समन्वय आदि के लिए इसका क्षेत्र पूरे राज्य में विस्तारित होगा।

लक्ष्य एवं उद्देश्य ।—

5. सोसाइटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-
 - (क) वन्यजीवों के संरक्षण, वन्यजीवों के नियंत्रित-प्रबंधन (captive management of wildlife) और इको-पर्यटन के लिए संजय गांधी जैविक उद्यान की गतिविधियों को पूरक, सुदृढ़ या अन्यथा विस्तारित करना और वन्यजीवों के एक्स-सीटू और इन-सीटू प्रबंधन के बीच संबंध को सुविधाजनक बनाना।
 - (ख) खुली बहस, चर्चा आदि के लिए मंच प्रदान करना और किसी धर्मार्थ, परोपकारी, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, सार्वजनिक या किसी अन्य संस्था को सदस्यता देना या अन्य सहायता प्रदान करना, जिसका उद्देश्य या प्रयोजन समाज के उद्देश्यों के अनुरूप हो या उन्हें बढ़ावा देता हो।
 - (ग) संजय गांधी जैविक उद्यान के विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रमों, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों, विशेषज्ञों और वित्त पोषण एजेंसियों के साथ समन्वय और संपर्क स्थापित करना तथा भारत सरकार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठनों या किसी व्यक्ति, संस्थान, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारी या निजी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य संस्थान से अंशदान, सीएसआर, दान, उपहार, अनुदान और अन्य निधि प्राप्त करना।
 - (घ) संजय गांधी जैविक उद्यान के जानवरों के स्वास्थ्य-प्रबंधन तथा उद्यान के रख-रखाव के लिए परिसर में सुधार के साथ-साथ आगंतुकों की सुविधाओं के देख-रेख और सुधार के लिए सभी अंशदान, दान, उपहार (एनजीओ, कॉर्पोरेट्स, संस्थान, निजी और व्यक्तिगत भी शामिल हैं) और सोसाइटी को दिए गए फंड को प्राप्त करना और प्रबंधित करना, साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा टिकट

शुल्क, विभिन्न उपयोगकर्ता शुल्क, सुविधाओं की निविदा, दंड, नीलामी, किराया शुल्क, पशु गोद लेने, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री, लाइसेंस शुल्क, उपयोगकर्ताओं या आगंतुकों आदि पर लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क या प्रभार के रूप में उत्पन्न राजस्व को प्राप्त करना ।

- (ड) सरकारी/अर्ध-सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं से परियोजनाएं प्राप्त करना और परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- (च) विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष निधि निर्धारित करना और उनका सृजन करना तथा उसे या उसके किसी भाग को ऐसे उद्देश्यों के लिए लागू करना।
- (छ) सोसाइटी के कुशल-प्रबंधन और संचालन के लिए शासी-निकाय के अनुमोदन से आवश्यक संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करना/रखना ।
- (ज) सोसाइटी द्वारा नियोजित संविदा/दैनिक मजदूरी पर नियोजित व्यक्तियों/कर्मचारियों/सेवा प्रदाताओं को शासी निकाय के मानदंडों और अनुमोदन के अनुसार सोसाइटी के कोष से भुगतान होगा। इसमें सोसाइटी द्वारा नियोजित कर्मचारियों के भविष्य के लाभों के लिए ईपीएफ अंशदान या कोई अन्य बीमा भी सम्मिलित होगी। वे कर्मी, जो सरकारी सेवा में हैं, वे इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
- (झ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उद्देश्यों को आगे बढ़ाने लिए अचल-संपत्ति अर्जित करना।

शासी निकाय और कार्यकारी निकाय ।—

6. संजय गांधी जैविक उद्यान के प्रबंधन एवं विकास के लिए सोसाइटी के शासी निकाय और कार्यकारी निकाय का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा:

(क). शासी निकाय ।—

1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो ।	सदस्य
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना	सदस्य
5	निदेशक, परिस्थितिकी और पर्यावरण, पटना	सदस्य
6	बिहार सरकार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो ।	सदस्य
7	निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना	सदस्य- सचिव
8 से 10	राज्य सरकार द्वारा नामित चिड़ियाघर प्रबंधन, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव विविधता, शिक्षा और/या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अधिकतम तीन विशेषज्ञ।	सदस्य

(ख). कार्यकारी-निकाय ।—

1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना	उपाध्यक्ष
3	निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना	सचिव
4	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना	सदस्य
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना	सदस्य
6	निदेशक, राजगीर जू सफारी, नालंदा	सदस्य
7	उप निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना	सदस्य
8 से 9	राज्य सरकार द्वारा नामित वन्यजीव स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव विविधता, शिक्षा और/या वास्तुकला के क्षेत्र से अधिकतम दो विशेषज्ञ।	सदस्य

7. (क) सरकार के पास अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी समय शासी निकाय/कार्यकारी निकाय के लिए नामित किसी भी सदस्य को पद से हटाने शक्ति होगी तथा रिक्ति को भरने का अधिकार होगा।
- (ख) पदेन सदस्य अपने कार्यालय में नियुक्ति के कार्यकाल के दौरान सदस्य के रूप में पद धारण करेंगे।
- (ग) गैर-सरकारी सदस्य एक समय में तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः मनोनीत किया जा सकता है।
- (घ) राज्य सरकार समय-समय पर सरकार के किसी अधिकारी को सोसाइटी के सदस्य के रूप में नामित कर सकती है।

पदेन सदस्यता का समापन ।—

8. जब कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के आधार पर सोसाइटी का पदेन सदस्य बन जाता है, तो सोसाइटी में उसकी सदस्यता उस समय समाप्त हो जाएगी जब उसका पद या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी ।

अन्य की सदस्यता की समाप्ति ।—

9. पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:
 - (क) सदस्यता के लिए मनोनीत अवधि की समाप्ति पर
 - (ख) मृत्यु, त्यागपत्र, दिवालियापन, पागलपन या नैतिक अधमता से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर
 - (ग) जब कोई सदस्य बिना उचित अनुमति के लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है।

सोसाइटी या उसके प्राधिकरण की गतिविधियों पर प्रतिबंध ।—

10. सोसाइटी या उसका कोई भी प्राधिकरण सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति को नियुक्त करने, पट्टे पर देने, या किसी भी तरह से जैविक उद्यान की किसी भी संपत्ति जैसे भूमि/परिसर/पूँजीगत संपत्ति, किसी कार्यालय या भवन, वन आदि के अधिकार, स्वामित्व या कब्जे को हस्तांतरित करने के लिए सक्षम नहीं होगा। हालाँकि, सोसाइटी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संविदा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप ही किसी भी सिविल निर्माण को शुरू या अधिकृत कर सकती है या अपने परिसर का उपयोग कर सकती है।

पदाधिकारियों की शक्ति/कार्य ।—

11. सोसाइटी के शासी-निकाय (जीबी) के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निकाय (ईबी) के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव होंगे। निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना, शासी निकाय के सदस्य- सचिव होने के साथ-साथ सोसाइटी के सचिव भी होंगे तथा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(क) शासी निकाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ।—

- (i) शासी निकाय के अध्यक्ष शासी-निकाय की बैठकों की अध्यक्षता एवं संचालन करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में शासी निकाय के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे।
- (ii) शासी निकाय के अध्यक्ष को सोसाइटी के सभी मामलों और पदाधिकारियों के कामकाज पर पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की सारी शक्तियां होंगी।
- (iii) शासी निकाय के अध्यक्ष, शासी-निकाय के सदस्यों के अलावा ऐसे व्यक्तियों को शासी-निकाय की बैठकों में विशेष-आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें वे विशिष्ट सलाहों और विशेषज्ञता के लिए उचित समझें।

(ख) कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ।—

- (i) कार्यकारी-निकाय के लिए, कार्यकारी-निकाय के अध्यक्ष, तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी-निकाय के उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(ग) शासी निकाय के सदस्य-सचिव

- (i) शासी निकाय की बैठकें बुलाएंगे तथा कार्यवाही का विवरण दर्ज करेंगे।

(घ) कार्यकारी निकाय के सचिव ।—

- (i) सोसाइटी की सभी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां उसके सचिव में निहित होंगी, जो सोसाइटी द्वारा तय की गई गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (ii) सोसाइटी द्वारा सचिव को सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेंगे।
- (iii) सोसाइटी के कोष का सम्पूर्ण प्रभार संभालेंगे तथा बैंकों में सोसाइटी के खाते खोलेंगे और उनका संचालन करेंगे।

शासी-निकाय और कार्यकारी-निकाय की शक्तियां और कार्य ।—

12. (क) सोसाइटी का क्रिया-कलाप शासी-निकाय द्वारा संचालित किया जाएगा, हालांकि, यह सरकार के समग्र नियंत्रण और नीतिगत निर्णयों के अधीन होगा। शासी-निकाय ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम या इन उप-नियमों द्वारा प्राप्त हैं और जिनका प्रयोग शासी-निकाय की बैठक में सोसाइटी द्वारा किया जाना आवश्यक है। शासी-निकाय के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) सोसाइटी द्वारा समस्त रूप से नीति-मार्गदर्शन एवं कार्यक्रमों में समन्वयन कर लागू करना।
- (ii) वार्षिक कार्य-योजना, बजट और लेखा-परीक्षित खातों का संस्वीकृति तथा अनुमोदन करना।
- (iii) सोसाइटी के उद्देश्यों, नियमों और विनियमों को बनाना, बदलना और संशोधित करना, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी-क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाने पर समय-समय पर समितियों का गठन करना।
- (iv) सोसाइटी के कर्मचारियों, समितियों और सलाहकारों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां और कार्य सौंपना।
- (v) ऐसे उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार समय-समय पर उसे सौंपे।

(ख) शासी-निकाय के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण तथा उप-नियमों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन, कार्यकारी-निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) सोसाइटी के परिसंपत्तियों सहित इसकी निधि का प्रबंधन करना।
- (ii) शुल्क, उपहार और दान आदि प्राप्त करके सोसाइटी के लिए धन जुटाना।
- (iii) सोसाइटी के लिए और उसकी ओर से कोई भी चल और अचल संपत्ति प्राप्त करना।

- (iv) सोसाइटी के लिए और उसकी ओर से अनुबंध करना।
- (v) सोसाइटी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का बचाव करना।
- (vi) शासी-निकाय के पुर्वानुमोदन से सोसाइटी की किसी भी चल संपत्ति को बेचना, हस्तांतरित करना या अन्यथा निपटाना।
- (vii) सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे शुल्क लगाने के लिए कहना तथा सोसाइटी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं (जैसा कि निर्धारित किया गया है) के लिए वसूल करना।
- (viii) शासी-निकाय के अनुमोदन के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्तियों/तकनीकी सहायता/सलाहकारों/संगठनों को संलग्न करना तथा नियोजित करना।
- (ix) वन्यजीवों के देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम, जागरूकता और अनुसंधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठनों/संस्थानों के साथ सहयोग करना ।
- (x) शासी-निकाय द्वारा दिए गए प्रत्यायोजन के अनुसार पूंजीगत प्रकृति के कार्य करना ।
- (xi) ऐसे सभी कार्य करना तथा ऐसी सभी कार्यों का निष्पादन करना जो सोसाइटी के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक हों।
- (xii) सोसाइटी या उसके अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध या सोसाइटी के अधिकारियों से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही को प्रारंभ करना, संचालित करना, समाप्त करना या त्यागना तथा साथ ही देय किसी भी ऋण और किसी भी दावे या मांग के भुगतान या संतुष्टि के लिए समझौता करना। सोसाइटी के विरुद्ध किसी भी मतभेद की मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना तथा उस पर दिए गए किसी भी निर्णय का पालन करना ।
- (xiii) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और निदेश जारी करना।
- (xiv) सोसाइटी के वार्षिक/त्रैमासिक कार्यक्रम, कार्य-योजनाओं और परियोजना के प्रस्तावों का समेकित रूप से जाँच करना और उन्हें पारित करना।

सोसाइटी के सचिव की शक्तियां और कार्य ।—

13. (क) सोसाइटी का सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा। वह वार्षिक कार्य-योजना तैयार करेगा और उसे कार्यकारी-निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कार्य-योजना के वे घटक जो कार्यकारी-निकाय द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, उन्हें शासी-निकाय की अगली बैठक में अनुमोदित कराएगा।

- (ख) शासी-निकाय और कार्यकारी-निकाय के सभी निर्णय, निर्देश और आदेश सचिव द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे। वह सोसाइटी के लिए और उसकी ओर से सभी पत्राचार प्राप्त करेगा। वह सोसाइटी के लिए सभी योगदान/अनुदान, उपहार, दान या अन्य धनराशि प्राप्त करेगा और उसे सोसाइटी के खाते में जमा करेगा और उसके लिए उचित प्राप्ति-रसीदें जारी करेगा।
- (ग) सचिव के पास सोसाइटी के सभी संसाधनों, परिसंपत्तियों, सम्पत्तियों और संपदाओं पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा।
- (घ) सोसाइटी के खाते से धन की निकासी सचिव और वित्त-अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से की जाएगी। यदि वित्त-अधिकारी मौजूद नहीं है, तो उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से निकासी की जा सकती है।
- (ङ) सोसाइटी की ओर से सभी अनुबंधों पर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा कार्यकारी-निकाय के किसी अन्य सदस्य द्वारा उनकी गवाही दी जाएगी।
- (च) सचिव अपेक्षित वैधानिक रिटर्न और विवरण तथा आवधिक खातों का अनुपालन करने की व्यवस्था करेंगे। वह सोसाइटी के मामलों, वित्तीय स्थिति और बजट पर वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट शासी-निकाय और कार्यकारी-निकाय को प्रस्तुत करेंगे। वह समय-समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यक दस्तावेज सोसाइटीज के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करेंगे।
- (छ) सचिव सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करेंगे, तथा सभी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों और मामलों में सोसाइटी की ओर से कार्य करेंगे, तथा उसे किसी भी कार्यवाही में अपना और सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता रखने का अधिकार होगा। वह सोसाइटी की ओर से मुकदमा कर सकता है या मुकदमों की पैरवी कर सकता है।
- (ज) वित्तीय नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सोसाइटी की लेखा-पुस्तकों और अभिलेखों को निरीक्षण के लिए सचिव प्रस्तुत करेंगे।
- (झ) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सोसाइटी के उद्देश्यों, लक्ष्यों और नियमों के अनुरूप कार्यान्वयन, प्रशासन तथा प्रबंधन का कार्य करेंगे।
- (य) सोसाइटी की ओर से सभी अनुबंध और अन्य दस्तावेज सचिव द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

सोसाइटी की बैठक।—

14. (क) शासी-निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। कार्यकारी-निकाय की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।
- (ख) एक वित्तीय-वर्ष के लिए शासी-निकाय की पहली बैठक 30 जून से पहले आयोजित की जाएगी, जिसमें सोसाइटी के अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित का निपटारा किया जाएगा, अर्थातः

- (i) पिछले वर्ष के लिए सोसाइटी की गतिविधियों की वार्षिक-प्रतिवेदन पर विचार और अनुमोदन, साथ ही उक्त वर्ष के लिए बैलेंस-शीट की लेखा-परीक्षित प्रति
 - (ii) पिछले वर्ष से संबंधित आय और व्यय, प्राप्ति-खाते और भुगतान-खाते तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन
 - (iii) चालू वर्ष के लिए लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति
- (ग) सोसाइटी के शासी-निकाय और कार्यकारी-निकाय की बैठक सचिव द्वारा संबंधित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के परामर्श से तय की गयी तारीख और समय पर आयोजित की जाएगी।
- (घ) बैठक बुलाने के लिए कम से कम सात दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। हालाँकि, असाधारण बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। डाक, ईमेल या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से सूचना देने को नोटिस-प्राप्ति के रूप में माना जाएगा।
- (ङ) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से शासी-निकाय के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी तरह, कार्यकारी-निकाय की बैठक के मामले में, अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी-निकाय के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की सहमति से अध्यक्षता करेंगे।

कोरम ।—

15. किसी बैठक के लिए न्यूनतम एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) मानी जाएगी, बशर्ते कि संबंधित निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक में उपस्थित हों।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की आपातकालीन शक्ति ।—

16. इन उप-नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपातकालीन स्थिति में सोसाइटी की शक्तियों का प्रयोग करने से रोके तथा इस संबंध में कृत कार्यवाई की सूचना अगली सोसाइटी की बैठक में दिया जाएगा।

बैठक की कार्यवाही ।—

17. (i) सचिव, शासी-निकाय/कार्यकारी-निकाय की प्रत्येक बैठक के कार्यवाही को एक रजिस्टर में दर्ज करवाएँगे तथा उसपर उसके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करवाएँगे एवं वह सचिव की अभिरक्षा में रहेगा।
- (ii) सभी उठाए गए प्रश्नों का समाधान बहुमत से किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा और वोट बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक वोट होगा।
- (iv) बैठक की कार्यवाही सभी सदस्यों को परिचालित की जाएगी।

निधि और संपत्ति ।—

18. (क) सोसाइटी की चल और अचल-संपत्तियां, निधि, शासी-निकाय में निहित होंगी। सोसाइटी की निधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

- (i) सरकारी/अर्ध-सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों/सोसायटियों/समूहों/ट्रस्टों/फाउंडेशनों/ सीएसआर निधियों/अन्य वित्तीय संस्थाओं आदि से अनुदान/उपहार/दान/निधि/पूंजी।
- (ii) संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा उत्पन्न सभी राजस्व (जैसे टिकट शुल्क, विभिन्न उपयोगकर्ता शुल्क, सुविधाओं की निविदा, जुर्माना, नीलामी, किराया शुल्क, वन्यप्राणी दत्तकग्रहण की प्राप्तियाँ, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री, लाइसेंस शुल्क, उपयोगकर्ताओं या आगंतुकों आदि पर लगाए गए कोई अन्य शुल्क इत्यादि) ।
- (iii) निवेश एवं अन्य स्रोतों से आय।

(ख) सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशि सोसाइटी के नाम से डाकघर या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए एक या अधिक बचत खातों में जमा की जाएगी। सचिव, सोसाइटी के वित्त-अधिकारी के साथ मिलकर, शासी-निकाय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर बैंक खाते का संचालन करेंगे।

(ग) सोसाइटी के प्रयोजन के लिए तत्काल आवश्यक न होने वाली समस्त धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 अथवा सार्वजनिक निधियों के निवेश को विनियमित करने वाले किसी अन्य कानून द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकेगा।

(घ) सोसाइटी अपने पंजीकृत कार्यालय में उचित लेखा-पुस्तकें रखेगी, जिसमें निम्नलिखित को सही ढंग से दर्ज किया जाना चाहिए:

- i) प्राप्त सभी धनराशियां और उनका स्रोत तथा सोसाइटी द्वारा व्यय की गई सभी धनराशियां और वह उद्देश्य या प्रयोजन जिसके लिए ऐसी धनराशियां व्यय की गई हैं,
- ii) सोसाइटी की परिसंपत्तियां और देनदारियां।

अंकेक्षण ।—

19. सोसाइटी के वार्षिक-लेखा का ऑडिट शासी-निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रतिष्ठित फर्म द्वारा कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे महालेखाकार, बिहार द्वारा भी ऑडिट कराया जा सकता है।

केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देश ।—

20. सोसाइटी ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो उसे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे । सोसाइटी भारत सरकार या राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न और अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिनकी समय-समय पर उनके द्वारा आवश्यकता हो।

बाह्य मूल्यांकन ।—

21. राज्य सरकार जब भी आवश्यक समझे, उपयुक्त समझी जाने वाली एजेंसियों के माध्यम से सोसाइटी के कार्यों के निष्पादन का बाह्य-मूल्यांकन करा सकती है।

क्षतिपूर्ति ।—

22. अधिनियम की धारा 10 और 11 के प्रावधानों के अधीन, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य, कर्मचारी और एजेंट को सोसाइटी के मामलों से संबंधित और प्रासंगिक आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य से उत्पन्न किसी भी कार्यवाही, चाहे वह सिविल या आपराधिक हो, का बचाव करने में उसके द्वारा किए गए किसी भी लागत, व्यय या देयता के खिलाफ क्षतिपूर्ति की जाएगी।

विघटन ।—

23. (क) सोसाइटी का विघटन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 और 14 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।
- (ख) यदि सोसाइटी के समापन या विघटन के बाद, उसके ऋणों और देनदारियों के निपटान के पश्चात् भी कोई संपत्ति, परिसंपत्ति और निधि शेष बचती है, तो उसे सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी को नहीं दिया जाएगा या उनमें वितरित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

संशोधन ।—

24. शासी निकाय की अनुशंसा पर, राज्य सरकार समय-समय पर, जब भी आवश्यक समझा जाएगा, प्रस्ताव पारित करके कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए सोसाइटी के उद्देश्यों, नियमों और विनियमों को बना, परिवर्तित और संशोधित कर सकता है ।

पूनम कुमारी,
संयुक्त सचिव।

**Memorandum of Association
of**

Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society

Name of the Society.—

1. The name of the society shall be the "Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society (SGBPMDs)".

Registered Office.—

2. The Registered Office of the Society viz., the Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society shall be situated in the office of the Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Bailey Road, Patna (Pin-800001), District- Patna, Bihar.

The area of operation.—

3. The area of operation of the Society shall be the area of Patna district in general and Sanjay Gandhi Biological Park in particular, and any such area which may be brought within its fold by Government orders. In special circumstances like Man-animal conflict co-ordination in other areas, co-ordination with other zoos within the State etc., the area would extend to the whole of the State.

Aim and Objectives.—

4. The aims and objectives of the Society are as follows:
 - (a) complementing, supplementing, strengthening or otherwise expanding the activities of Sanjay Gandhi Biological Park in the cause of conservation of wildlife, captive management of wildlife and eco-tourism and facilitating linkage between ex-situ and in-situ management of wildlife.
 - (b) to provide platform for open debate, discussion etc. and subscribe or otherwise assist any charitable, benevolent, scientific, national, public or any other institution the objectives or purpose of which are consistent with or which promotes objectives of the society.
 - (c) to coordinate and liaise with national/ international bodies, experts and funding agencies and to receive contribution, CSR, donation, gifts, grants and other funds from Government of India, Central Zoo Authority, State Government, non-governmental organizations or any individual, institute, national or international agencies, Government or private, any other institution of Central Government or State Government for specific conservation programmes, development of eco-tourism amenities of Sanjay Gandhi Biological Park.
 - (d) to receive and manage all contributions, donations, gifts (NGOs, Corporates, Institutions, including Private & Individual as well) and funds given to the Society, as well as the revenue generated by the

Sanjay Gandhi Biological Park in form of ticketing charges, various user charges, tendering of facilities, penalties, auctions, rental charges, animal adoptions, sales of various items, license fees, any other fees or charges levied on users or visitors etc. in larger interest of Sanjay Gandhi Biological Park for maintenance and upkeep of zoo animals, improve the premises as well as maintenance and improvement of visitors' amenities.

- (e) to obtain projects from government/ semi-government/ non-government entities and provide consultancy services.
- (f) to set apart and create special funds for special objects and apply the same or any part thereof for such objects.
- (g) to engage/ employ such contractual staff as may be necessary for efficient handling and conduct of business of the society with approval of Governing Body.
- (h) The persons/staffs/service providers employed by the society on contractual/daily wages basis will get payment from funds of the society as per norms and approval of the governing body. This will include EPF contributions or any other insurance for the futuristic benefits of staffs employed by the society. This does not include those employees which are in government service.
- (i) to acquire immovable properties in furtherance of objectives, with the prior approval of the state government.
- (j) to carry out any other activities in the furtherance of the above objectives.

Income and property of the Society.—

5. Any income or profit received by the society shall be applied solely for promoting the objectives of the society as set forth in this memorandum and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of salary, dividend, bonus, income or profit to any of the members of the society provided nothing herein contained shall apply to payment of reasonable incidental expenses to such members.

Dissolution of the Society.—

6. (i) The dissolution of the Society shall be done in accordance with the provisions under Section 13 and 14 of the Societies Registration Act, 1860.
- (ii) If on dissolution, there shall remain after clearance of its debts and liabilities, any property, assets and funds of the Society whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the Society or any of them, but it shall be transferred to the State

Government in such a manner as department of Environment, Forests and Climate Change may determine.

7. We, the several persons whose names and address are given below, having associated ourselves for the aims and objectives described in this Memorandum of Society for Development of Sanjay Gandhi Biological Park, Patna do hereby subscribe our names to this memorandum of the Society and set out several and respective hands hereunto and for ourselves into a Society under the Societies Registration Act, 1860; on this day, the of, 2025.

Sl. No.	Designation and Address	Occupation	Signature
1	Secretary, Environment, Forests and Climate Change Department, Bihar	Government Service	
2	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Bihar	Government Service	
3	Principal Secretary, Animal & Fish Resources Department, Bihar	Government Service	
4	Secretary, Finance Department, Bihar, Patna	Government Service	
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests-cum-Chief Wildlife Warden, Bihar	Government Service	
6	Director, Ecology and Environment, Patna	Government Service	
7	Dean, Veterinary College, Animal Sciences University, Patna	Government Service	
8	Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna	Government Service	
9 to 11	Experts, not exceeding three, in the field of zoo management, veterinary sciences, biodiversity, education and/or social science nominated by the Secretary, Environment, Forests and Climate Change Department, Bihar		

WITNESSES

1. Sri
2. Sri

Signature with Date

PUNAM KUMARI,
Joint Secretary.

**Sanjay Gandhi Biological Park Management and
Development Society Bye-laws, 2025**

Short Title, Extent and Commencement.—

1. (a) These bye-laws shall be called "The Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society Bye-laws, 2025", hereinafter referred to as 'Bye-laws'.
- (b) These bye-laws shall apply to all the members, properties, activities and transactions of the Society for Management & Development of Sanjay Gandhi Biological Park, Patna.
- (c) These bye-laws shall come into force on the date of registration of the Society i.e. "Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society" under the Societies Registration Act, 1860.

Definition.—

2. In these Bye-laws, unless there is anything repugnant to the subject or context,
 - (a) **"Act"** means the Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860).
 - (b) **"Chairperson"** means the Chairperson of the Governing Body (GB) of the Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society, Patna,
 - (c) **"CZA"** means the Central Zoo Authority, New Delhi,
 - (d) **"Director"** means the Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna,
 - (e) **"Executive Body"** means the Executive Body (EB) of the society,
 - (f) **"Finance Officer"** means the Finance Officer of the Society,
 - (g) **"Governing Body"** means the apex body of the society constituted under these bye-laws,
 - (h) **"Government"** means, unless otherwise specifically mentioned, the State Government of Bihar,
 - (i) **"Secretary"** means the Secretary of the Executive Body of the society,
 - (j) **"Society"** means the Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society,
 - (k) **"Rules of the Society"** means the Bye-laws of the Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society,
 - (l) **"Vice Chairperson"** means the Vice Chairperson of the Governing Body of the society,
 - (m) **"Year"** means the financial year beginning with 1st day of April and ending on the 31st day of March of the following year.

The Bihar General Clauses Act shall apply, mutatis mutandis, for definition of the terms, not defined herein with proper variance.

Registered Office.—

3. The Registered office of the Society shall be situated at the office of the Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna, Bihar until otherwise decided by the Governing Body.

Date of adoption of bye-laws and jurisdiction.—

4. These bye-laws shall come into force from the date of registration of the Sanjay Gandhi Biological Park Management and Development Society under the Societies Registration Act, 1860. The jurisdiction of the Society shall be the area of Patna district in general and Sanjay Gandhi Biological Park in particular, and any such area which may be brought within its fold by Government orders. In special circumstances like Man-animal conflict co-

ordination in other areas, co-ordination with other zoos within the State etc., the area would extend to the whole of the State.

Aims & Objectives.—

5. The aims and objectives of the Society are as follows:

- (a) Complementing, supplementing, strengthening or otherwise expanding the activities of Sanjay Gandhi Biological Park in the cause of conservation of wildlife, captive management of wildlife and eco-tourism and facilitating linkage between ex-situ and in-situ management of wildlife.
- (b) To provide platform for open debate, discussion etc. and subscribe or otherwise assist any charitable, benevolent, scientific, national, public or any other institution the object or purpose of which are consistent with or which promotes objects of the society.
- (c) To coordinate and liaise with national/ international bodies, experts and funding agencies and to receive contribution, CSR, donation, gifts, grants and other funds from Government of India, Central Zoo Authority, State Government, non-governmental organizations or any individual, institute, national or international agencies, Government or private, any other institution of Central Government or State Government for specific conservation programmes, development of eco-tourism amenities of Sanjay Gandhi Biological Park.
- (d) To receive and manage all contributions, donations, gifts (NGOs, Corporates, Institutions, including Private & Individual as well) and funds given to the Society, as well as the revenue generated by the Sanjay Gandhi Biological Park in form of ticketing charges, various user charges, tendering of facilities, penalties, auctions, rental charges, animal adoptions, sales of various items, license fees, any other fees or charges levied on users or visitors etc. in larger interest of Sanjay Gandhi Biological Park for maintenance and upkeep of zoo animals, improve the premises as well as maintenance and improvement of visitors amenities.
- (e) To obtain projects from government/ semi-government/ non-government entities and provide consultancy services.
- (f) To set apart and create special funds for special objects and apply the same or any part thereof for such objects.
- (g) to engage/ employ such contractual staff as may be necessary for efficient handling and conduct of business of the society with approval of Governing Body.
- (h) The persons/staffs/service providers employed by the society on contractual/daily wages basis will get payment from funds of the society as per norms and approval of the governing body. This will include EPF contributions or any other insurance for the futuristic benefits of staffs employed by the society. This does not include those employees which are in government service.
- (i) to acquire immovable properties in furtherance of objectives, with the prior approval of the state government.
- (j) to carry out any other activities in the furtherance of the above objectives.

The Governing Body and Executive Body.—

6. The Governing Body and Executive Body of the Society for Management & Development of Sanjay Gandhi Biological Park shall be constituted with the following members:

A. Governing Body.—

1	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar	Chairperson
2	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Bihar, Patna.	Vice chairperson
3	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Animal & Fish Resources Department, Government of Bihar or his/her nominee/representative, not below Joint Secretary rank.	Member
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests -Cum- Chief Wildlife Warden, Bihar, Patna.	Member
5	Director, Ecology & Environment, Patna.	Member
6	A representative of Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Finance Department, Government of Bihar not below Joint Secretary rank.	Member
7	Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna.	Member-Secretary
8 to 10	Experts, not exceeding three, in the field of zoo management, veterinary sciences, biodiversity, education and/or social science nominated by the State Govt.	Member

B. Executive Body.—

1	Additional Principal Chief Conservator of Forest-cum- Chief Wildlife Warden, Bihar, Patna	Chairperson
2	Director, Ecology and Environment, Patna	Vice-Chairperson
3	Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna	Secretary
4	Director, Animal Husbandry, Bihar, Patna.	Member
5	Divisional Forest Officer, Patna Forest Division, Patna.	Member
6	Director, Rajgir Zoo Safari, Nalanda.	Member
7	Deputy Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna	Member
8 to 9	Experts, not exceeding two, in the field of wildlife health, veterinary sciences, biodiversity, education, and/or architecture nominated by the State Govt.	Member

Membership.—

7. (a) The Government shall have, in its absolute discretion, the power to remove from office any member nominated to the Governing Body / Executive Body at any time and shall have the right to fill the vacancy.
- (b) The ex-officio members shall hold office as member during their tenure of appointment in their office.
- (c) The non-official members will hold office for a period of three years at a time. They may be re-nominated by the competent authority.
- (d) The State Govt. may, from time to time, nominate any official of the Government as member of the Society.

Termination of ex-officio Membership.—

8. When a person becomes an ex-officio member of the Society by virtue of the office or appointment, which he/she holds, his/her membership of the Society shall stand terminated when he/she ceases to hold that office or appointment.

Termination of Membership of other.—s

9. Membership of members other than ex-officio members, shall stand terminated in any of the following situations:
 - (i) on expiry of the period of membership for which nominated;
 - (ii) death, resignation, insolvency, lunacy or conviction for a criminal offence involving moral turpitude;
 - (iii) when a member does not attend three consecutive meetings without proper leave of absence.

Restrictions on the activity of the Society or its Authority.—

10. The Society or any of its authority shall not be competent to appoint any person, or lease, or in any way transfer the right, title or possession of any asset such as land/premises/capital asset, any office or building, forest etc of Sanjay Gandhi Biological Park without the prior sanction of the Government. However, the Society can engage contractual employees and undertake or authorize any civil construction or use its premises following guidelines of the Central Zoo Authority and guidelines issued by other competent authorities in consonance with CZA guidelines.

Power/Function of office Bearers.—

11. There shall be a Chairperson, a Vice Chairperson and a Member-secretary of Governing Body (GB) and a Chairperson, a Vice Chairperson and a Secretary of the Executive Body (EB) of Society. The Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna, besides being the member-secretary of the Governing body, shall also be the Secretary of the Society and function as its Chief Executive Officer.

A. Chairperson & Vice Chairperson of Governing Body.—

- (i) The Chairperson, of the Governing Body shall preside over and conduct the meetings of the Governing Body and in his absence Vice Chairperson of the Governing Body will preside.
- (ii) The Chairperson of the Governing Body shall have overall powers of supervision, direction and control over all affairs of the Society and functioning of office bearers.
- (iii) The Chairperson of the Governing Body may invite such persons other than the members of the Governing Body as special invitees to the meetings of the Governing Body as he/she thinks proper for specialized inputs and expertise.

B. Chairperson & Vice Chairperson of Executive Body.—

- (i) For Executive Body, the Chairperson, EB, and in his/ her absence the Vice Chairperson, EB will preside over the meetings.

C. Member Secretary of Governing Body.—

- (ii) Will convene the meetings of the Governing Body and record the minute of the proceedings.

D. Secretary of the Executive Body.—

- (i) All executive and financial power of the Society shall vest in its Secretary, EB who shall be responsible for planning, implementation and monitoring of activities as would be decided by the Society.
- (ii) Will exercise and discharge such other duties as may be delegated to the Secretary by the Society.
- (iii) Will remain in overall charge of funds of the Society and open and operate the Society's accounts in the banks.

Power and Function of Governing Body and Executive Body.—

12. (a) The business of the Society shall be managed by the Governing Body, subject however, to the overall control and policy decisions of the Government. The Governing Body shall exercise all such powers as are got by the Act or by these bye-laws required to be exercised by the Society at the meeting of Governing Body. Following will be included in the functions of the Governing Body:
 - (i) Overall policy guidance and co-ordination of programmes implemented by the Society,
 - (ii) To approve and sanction the Annual Plan, Budget and Audited Accounts,
 - (iii) To make, alter and amend the objectives, rules and regulation of the society, constitute committees from time to time as and when considered necessary for effective execution of the programmes and schemes,
 - (iv) To delegate administrative and financial powers and functions to the employees, committees and consultants of the Society,
 - (v) To execute such responsibilities and such duties which the state government assigns it from time to time.
- (b) Subject to the general control and supervision of the Governing Body and the restrictions imposed under the bye-laws, the Executive Body shall have the following powers and functions, namely:
 - (i) to manage properties including fund of the Society,
 - (ii) to raise funds for the society by receiving fees, gifts and donations etc,
 - (iii) to receive any movable and immovable property for and on behalf of the Society,
 - (iv) to enter into agreement for and on behalf of the Society,
 - (v) to defend legal proceedings against the Society,
 - (vi) to sell, transfer or otherwise dispose of any movable property of the Society with the prior approval of Governing Body,
 - (vii) to ask for levying such fees & charges to meet out objectives of the society as well as to make recovery for the services (as prescribed) provided by the society.
 - (viii) to engage and employ persons/ technical support/ consultants/ organizations for rendering services under approval of Governing body.
 - (ix) to collaborate with organizations/ institutions to meet out objectives of animal care, exchange programs for conservation & breeding, awareness and research.

- (x) to undertake works of capital nature as per the delegation given by the Governing Body,
- (xi) to perform all such acts and do all such things as may be necessary for proper management of the affairs of the Society,
- (xii) to institute, conduct, compound or abandon any legal proceedings by or against the society or its officers or otherwise concerning the officers of the society and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Society and to refer any difference to arbitration and observe and perform any award made thereon,
- (xiii) to issue guidelines and directions as may be necessary for implementation of programmes,
- (xiv) to critically examine and to pass the annual/quarterly work programme of the Society, action plans and project proposals.

Power and Functions of the Secretary of Society.—

13. (a) The Secretary of the Society shall also be the Chief Executive Officer of the Society. He will prepare and present the Annual Action Plan before the Executive Body. Those components of the Action Plan which are sanctioned by the Executive Body, shall be got approved in the next meeting of the Governing Body.
- (b) All decisions, instructions and orders of the Governing Body and Executive body shall be carried out by the Secretary. He shall receive and make all correspondences for and on behalf of the Society. He will receive all contributions/ grants, gifts, donations or other funds meant for the Society and credit the same into Society's account and will issue proper receipts for the same.
- (c) The Secretary shall have control and supervision of all resources, assets, properties and estates of the Society.
- (d) Withdrawal of money from account of the Society will be through cheques jointly signed by the Secretary and Finance Officer. In case the finance officer is not there, the withdrawal may be done through cheques jointly signed by the Vice-chairperson and the Secretary.
- (e) All contracts on behalf of the Society shall be signed by Secretary and witnessed by another member of the Executive Body.
- (f) The Secretary shall arrange to comply with the requisite statutory returns and statements and periodical accounts. He shall submit Annual Administration Report on the affairs, financial position and budget of the Society to the Governing Body and the Executive Body. He shall file with the Registrar of Societies, documents required under Section 4 of the Act as amended from time to time.
- (g) The Secretary shall represent the Society, and act on its behalf and in stead of it, in all judicial, quasi-judicial proceedings and matters and shall have powers to engage advocate(s) to represent him and the Society in any proceedings. He may sue or be sued on behalf of the society.
- (h) The Secretary shall present for inspection the books of accounts and records of the Society as required under the financial rules.

- (i) It shall be the duty of the Secretary to carry out the works, administration and management of the Society in conformity with the aims and objectives and rules of the Society.
- (j) All contracts and other instruments on behalf of the Society shall be executed by the Secretary.

Meeting of the Society.—

- 14. (a) The Governing Body shall meet at least twice a year. The Executive Body shall meet at least once in 3 (three months).
- (b) The first meeting of the Governing Body for a financial year shall be held at a date not later than 30th June where among other business of the Society, the following shall be disposed of, namely:
 - (i) Consideration and approval of the Annual Report of the activities of the Society for the preceding year together with the audited copy of the balance sheet for the said year,
 - (ii) Income and expenditure, receipt and payment accounts and the Audit Report relating to the previous year, and
 - (iii) Appointment of Auditors for the current year.
- (c) The meeting of the Governing Body and Executive Body of the Society shall be held at such date and time as may be fixed by the Secretary in consultation with the concerned Chairperson/Vice-Chairperson.
- (d) At least seven days notice shall be given for convening a meeting. An extraordinary meeting may, however, be called at a shorter notice. Delivery of notice through post, email or any other digital medium would be construed as service of notice.
- (e) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his/her absence the Vice-Chairperson of the Governing Body shall preside, with the consent of the Chairperson. Similarly, in case of Executive Body meeting, the Chairperson and in his/her absence the Vice-Chairperson of EB will preside over, with the consent of the Chairperson.

Quorum.—

- 15. A minimum one-third of the number of members would constitute the quorum for a meeting, provided that either the Chairperson or the Vice-Chairperson of the concerned Body is present at the meeting.

Emergency Power of the Chairperson/Vice Chairperson.—

- 16. Nothing in these bye-laws shall prevent the Chairperson/Vice-Chairperson from exercising powers of the Society in case of emergencies for furtherance of the objectives of the Society and action taken shall be reported to the Society in the next General Body meeting.

Proceeding of the meetings .—

- 17. (i) The Secretary shall cause minutes of every meeting of the Governing Body/ Executive Body to be entered in a Register and duly signed by the Chairperson thereof and it shall be in the custody of the Secretary.
- (ii) All disputed questions shall be resolved by majority votes. Each member shall have one vote and in case of equality of votes, the Chairperson shall have a second casting vote.
- (iii) The proceeding of the meeting shall be circulated to all members.

Funds and properties .—

18. (a) The funds and properties of the Society, movable and immovable, shall be vested in the Governing Body. The funds of the Society shall consist of the following:
 - (i) Grants/ gifts/ donations/ funds/ capital from Government/ semi-government/ non-government entities/ individuals/ societies/ groups/ trusts/ foundations/ CSR funds/ other financial institutions etc.
 - (ii) All revenue generated by the Sanjay Gandhi Biological Park (eg. ticketing charges, various user charges, tendering of facilities, penalties, auctions, rental charges, animal adoptions, sales of various items, license fees, any other fees or charges levied on users or visitors etc etc).
 - (iii) Income from investments and other sources.
- (b) All money received by or on behalf of the Society shall be paid in one or more savings accounts to be opened in the name of the Society in Post Office or any other nationalized bank. The Secretary, jointly with Finance officer of the Society, shall operate the bank account within the limits, if any, specified by the Governing Body from time to time.
- (c) All money not immediately required for the purpose of the Society may be invested in fixed deposits in nationalized banks or in securities authorized by the Indian Trusts Act, 1882 or any other law regulating the investments of public funds.
- (d) The Society shall keep at its registered office proper Books of Accounts in which the following should be entered accurately:
 - i) All sums of money received and source thereof and all sums of money spent by the society and the object or purpose for which such sums are expended,
 - ii) The society's assets and liabilities.

Audit.—

19. The annual account of the Society shall be got audited by reputed firm of Chartered Accountants appointed by the Governing Body. It can be further audited by the Accountant General, Bihar, if required.

Directions of Central/State Government.—

20. The Society shall comply with such directions as may be issued to it from time to time by the Government of India or State Government. The Society shall furnish to the Government of India or State Government such reports, returns and other information as may be required by them from time to time.

External Evaluation.—

21. The State Government may conduct external evaluation of Society's performance as and when felt necessary through agencies as deemed appropriate.

Indemnity.—

22. Subject to the provisions of sections 10 and 11 of the Act, every member, employee and agent of the Society shall be indemnified against any cost, expense or liability incurred by him in defending any proceeding, whether civil or criminal, arising out of any act done in the discharge of official duty relating and relevant to the affairs of the Society.

Dissolution.—

23. (i) The dissolution of the Society shall be done in accordance with the provisions under Section 13 and 14 of the Societies Registration Act, 1860.
- (ii) If on dissolution, there shall remain after clearance of its debts and liabilities, any property, assets and funds of the Society whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the Society or any of them, but it shall be transferred to the State Government in such a manner as department of Environment, Forests and Climate Change may determine.

Amendment.—

24. On recommendation of the Governing Body, the State Government may make, alter and amend the objectives, rules and regulation of Society from time to time as and when considered necessary for effective execution of the programmes and schemes by passing a resolution.

PUNAM KUMARI,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 77-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>